

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्राक: पु.वि.वि. / सम्बद्धता / 2021 / 1672.
दिनांक: 28.8.21

प्रकाश में

प्रबन्धक,

कालिन्दी सिंह महाविद्यालय,

इशोपुर माहपुर, गाजीपुर।

विषय: महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1103 (1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया है। के आलोक में कालिन्दी सिंह महाविद्यालय, इशोपुर माहपुर, गाजीपुर में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित के विषयों/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2021 से आगामी तीन वर्षों के लिए सम्बद्धता समिति के संस्तुति के आधार पर माननीय कुलपति जी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है:-

1. महाविद्यालय संदर्भित विषयों में प्रवक्ताओं के अनुमोदन/संविदा का प्रमाण पत्र प्राप्त होने से सम्बन्धित सभी कमियों को महाविद्यालय दो माह में पूरा कर लेगा, अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुराग दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी. दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002 दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण दो माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय का शपथ-पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली के परिनिम 10.10 के अन्तर्गत समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय के प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से प्रेषित करेगा, कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन, नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय को अनुमन्त्र की जा रही सम्बद्धता शासनादेश के अनुपालन में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि के संपन्न होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
8. शासन के पत्र संख्या 12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015 दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं के अनुमोदन/नियुक्ति आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगी।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि एन.बी.सी. प्रमाण, अग्निशमन प्रमाण, 2 एफ प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।
10. प्रतिवर्ष Aishe के अन्तर्गत पंजीकरण अनिवार्य होगा।
11. विश्वविद्यालय में परीक्षाशुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

महोदय
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सल्लाहार्थ।
3. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय 3090 इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. परीक्षा नियन्त्रक/टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
6. अधीक्षक, शैक्षणिक, कार्यपरिषद के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

कुलसचिव